



बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर: मानवतावादी चिंतन के संदर्भ

चेतन बहोत

राजनीतिक विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय, यू. जी. सी. नेट, दिल्ली, भारत

सारांश

इस लेख के माध्यम से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के मानवतावादी विचारों के दृष्टिकोण के संदर्भ में संगृहीत किया गया है। बाबा साहेब को एक समूह या वर्ग का ही उद्धार करने से सबधित नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि उनके द्वारा स्त्री-पुरुष समानता, किसानों के उद्धार के संदर्भ में, शिक्षा, धर्म, राजनीतिक सुधार, कानून का शासन आदि जैसे अपने विचारों को बाबा साहेब ने व्यवहारिक धरातल पर लागू कराने का प्रयास किया अतः बाबा साहेब के सभी कार्य समाज में समता बनाने, सामाजिक संघर्ष का आधार मानवतावादी है बाबा साहेब के किए गए कार्य सर्वसमाज, सर्व वर्ग हित में किए गए हैं।

मूल शब्द: समाज सुधारक, जातिविहीन समाज, स्त्री शिक्षा, स्त्री-पुरुष समानता, मानवतावादी धर्म, समानता/समरसता को बढ़ावा

प्रस्तावना

हिन्दुस्तान में प्रचलित सामाजिक बुराइयों के सुधार हेतु बहुत से चिंतकों ने अपने विचार रखे जिसमें अधिकतर आधुनिक भारतीय इतिहास में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों और अन्य जन आंदोलनों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए नील विद्रोह (बंगाल) यह विद्रोह शोषण के विरुद्ध लड़ाई थी जिसे 'नील दर्पण' के लेखक दीनबंधु मित्र ने नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखा, वहीं 19वीं शताब्दी के 'पुनर्जागरण का पिता' कहलाने वाले राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया, जैसे सती प्रथा का प्रबल विरोध, ऐसे ही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 (बंबई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से) उसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का खण्डन करना, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देना था ऐसे ही उपरोक्त सामाजिक सुधारकों की तरह ही समाज में प्रचलित बुराइयों, भेदभाव, छुआछूत के दौरान 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश में बाबा साहेब भीमराव जी का जन्म हुआ जिन्होंने इन समाज की कुरीतियों का सामना प्रत्यक्ष तौर पर किया उपरोक्त अन्य लेखकों की चर्चा का उद्देश्य यह बताना था कि भारतीय समाज में अनेक मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले महापुरुष हुए जिन्होंने समय-समय पर समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया ऐसी एक चर्चा वैदिक कहानी 'भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए' उस समय भी यह घटना इंगित करती है कि समाज में भेदभाव था जिसके विरुद्ध भगवान राम ने समरसता का संदेश समाज में दिया।

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन मानवतावादी दृष्टिकोण से था, समाज में छुआछूत होने के कारण उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखने का प्रयास किया, उनमें प्रतिभा होने के बावजूद भी उन्हें कक्षा में पृथक स्थान पर बिठाया जाना, साथ ही पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था देखी गई, बाबा साहेब ने अपना जीवन समाज में प्रचलित बुराइयों, छुआछूत, अस्पृश्यता और समाज के वंचित वर्गों को शोषण से मुक्त कराने के लिए लगा दिया। यह सही है कि बाबा साहेब ने समाज के सबसे शोषित वर्गों (दलित समाज) को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी किंतु उन्होंने यह कार्य इसलिए किया ताकि हिन्दुस्तान की एकता, अखण्डता बनी रहे, जिसके वह समर्थक रहे। उसका ही परिणाम था कि उन्होंने अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर) का विरोध किया, किंतु उनके विचारों को सिर्फ दलितों का नेता मानकर सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि उनके विचारों का केन्द्र मानवता रहा है। उदारवादी चिंतक के रूप उनके विचारों को समझा जा सकता है। बाबा साहेब ने हमेशा अन्य लोगों का या वर्ग का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने हमेशा समाज में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। यह बताया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं बल्कि हम सब एक हैं। इन्हीं मूल्यों को उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति में बताया 'हम भारत के लोग' इसका मतलब यह कि जो संविधान बनाया गया वह किसी खास जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए है जो सभी विविधता भरे समाज को एकताबद्ध करता है।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1916 में जाति उत्पत्ति पर पहली बार शोध प्रकाशित किया गया जिसकी व्यापक चर्चा who were shudras में की गई है जिनमें अम्बेडकर यह बताना चाहते थे कि वर्णव्यवस्था में शुद्र की उत्पत्ति अपनी अक्षमता/अयोग्यता के कारण नहीं बल्कि उस समय समाज में प्रचलित संकीर्ण मानसिकता की व्यवस्था थी उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह भी उसी प्रजाति के लोग हैं जिस प्रजाति के अन्य व्यक्ति हैं। हिन्दू समाज में प्रचलित असमानता, छोटा-बड़ा, ऊंचा-नीचा, जाति प्रथा होने के कारण आज हिन्दू समाज असंख्य इकाइयों में बंट गया जिसका कारण हिन्दू समाज में सामाजिक चेतना को संचार का अभाव था इसी परिणामस्वरूप जातिवाद की खाई चौड़ी होती गई। बाबा साहेब के सपनों का भारत वह भारत था जहाँ सभी हिन्दुस्तान में रहने वाला हर हिन्दुस्तानी भारतीय हो समाज में

जातिवाद खत्म हो इसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 की चर्चा की ताकि देश को बांटने से अच्छा है एकीकृत किया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर मानते हैं कि जाति व्यवस्था का कोई तार्किक आधार नहीं है। यह कुछ समूह वर्ग द्वारा स्वार्थपूर्ति का साधन है। इस कारण हिन्दू समाज में विघटन को भी बढ़ावा मिला। उससे भ्रातृत्व की भावना प्रभावित हुई। इसी के साथ उनका प्रारम्भ में प्रयास हिन्दू धर्म में सुधार के लिए संघर्ष था, उनके माध्यम से समाज में बताने का प्रयास किया। सभी एक प्रजाति के लोग हैं, किंतु उनका बौद्ध धर्म अपनाते के पीछे कारण यही कृत की गई रूढ़िवादी व्यवस्था थी उन्होंने माना कि जाति व्यवस्था के कारण हिन्दू समाज की गतिशीलता समाप्त हो गई। वह नए विचारों को आत्मसात नहीं कर पाया, संकीर्ण धर्म के रूप में बन गया जिसका प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया, उन्होंने जाति व्यवस्था के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का भी खण्डन किया कहा कि जातिभेद का समर्थन करने वाले मानते हैं कि यह श्रम विभाजन की व्यवस्था है व्यक्ति परंपरागत रूप से पैतृक आधार पर दक्ष हो जाता है लेकिन बाबा साहब ने इसकी आलोचना की और कहा कि यदि ऐसा मानेंगे तो व्यक्ति की संकल्प इच्छाशक्ति प्रभावित होगी, दूसरी ओर देश का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उनके द्वारा उनकी पुस्तक *एनीहीलेशन ऑफ कास्ट* में जाति समाप्ति के लिए अनेक सुझाव दिए जिसमें उन्होंने सभी वर्गों के लिए समान व्यवस्था की बात कही है, साथ ही अन्तरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए जिससे सभी जातियों के बीच सहयोग तथा सामाजिक संगठन पर बल दिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने मनुष्यों को जाति से नहीं बल्कि मानव के रूप में माना है। वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करते थे उन्होंने कभी शोषण करने वाले लोगों को क्षति नहीं पहुँचाई कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला बल्कि प्रारंभ से ही मानवता को केन्द्र में रखकर बंधुत्व और एकता की भावना पर बल दिया।

बाबा साहब ने अपनी शिक्षा का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया बल्कि उसको मानव सेवा, समाज कल्याण में लगाया। उनका मानना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर वह दहाड़ेगा अर्थात् बाबा साहब ने इसके माध्यम से समाज में शिक्षा के महत्त्व को बताया है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति ना सिर्फ समाज कल्याण के कार्य करेगा बल्कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाएगा इसी के बाबा साहब ने हमेशा ही शिक्षा में भी समानता पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए क्योंकि ना सिर्फ दलित महिला बल्कि उच्च वर्ग की महिलाओं का भी शोषण लगभग बराबर ही था इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार हो उसके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। महिलाएँ शिक्षित होंगी तो वह अपने अधिकारों को जानेगी और शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकती है। समाज में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता, न्याय, लोकतांत्रिक भावना का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बाबा साहब ने उस समय शिक्षा प्राप्त की जिस समय जातिवाद अपने चरम पर था लेकिन उनका संघर्ष निरंतर रहा, जिसका परिणाम उन्हें वर्तमान में *symbol of knowledge* के नाम से जाना जा रहा है। उनके जन्मोत्सव को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ एक घटना अनुभव की गई है कि 2014 से पूर्व बाबा साहब को एक दलित नेता कहकर सीमित कर दिया जाता था वहीं 2014 के बाद अम्बेडकर जयंति जैसे उनसे संबंधित पर्वों को सिर्फ दलित समुदायों ने नहीं बल्कि सर्वसमाज ने मनाया, सभी ने माना कि उनके प्रयास मानवतावादी हैं जो देश को नैतिक मूल्य आदर्शों को समाहित कराता है जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता अखण्डता, अहिंसा आदि और यही वर्तमान समय है समाज में मधुरता, समरसता ला सकता है। बाबा साहब को जब भारतीय संविधान निर्माण का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा उनके द्वारा सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे उस विविधता भरे देश को एकताबद्ध कर, सामनता, बंधुत्व की भावना से जोड़ा रहा इसलिए उन्होंने यह कार्य किसी कुरीतियों से तटस्थ रहकर सभी के लिए एक संविधान का ब्योरा तैयार किया जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समता, न्याय के आदर्शों पर चलने वाला समाज का निर्माण हो, भारतीय संविधान में डॉ. अम्बेडकर का प्रभाव मूल अधिकार पर विशेष रूप से दिखाई देता है क्योंकि बाबा साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को जाना था कि वंचितों, श्रमिकों, महिला और समाज के कमजोर वर्ग ने शोषण और उत्पीड़न को बर्दाश्त किया है ऐसे में मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए बाबा साहब ने मूल अधिकार में ऐसे अनुच्छेद रखे जो समतावादी समाज को बनाने पर जोर देता है जैसे अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार; अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। साथ ही किसी व्यक्ति के लिए उनके मूल अधिकार को सुरक्षा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को जीने में मिले मूल अधिकारों का हनन होता तो वह सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष याचिका दर्ज करा सकता है। विधि के शासन को (अनुच्छेद 14) का शासन मूल तत्त्व स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि विधि समानता एवं स्वतंत्रता की सजग सुरक्षा की परिधि है और समाज में यही सामाजिक शांति और सौहार्द की स्थापना कर सकती है। बाबा साहब क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के पक्ष में थे परंतु वह सम्पूर्ण राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी भाषा के ही समर्थक थे।

बाबा साहब के द्वारा 12 अक्टूबर 1929 को पुणे में स्थित पार्वती मंदिर में दलित महिलाओं के पूजा करने के लिए मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया जिसमें उनके साथ नानाबाई कांबले ने अपनी समर्थक महिलाओं के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया। बाबा साहब ने 1931 में लंदन गोल मेज सम्मेलन के माध्यम से कमजोर वर्ग (वर्णव्यवस्था में अंतिम पायदान की जाति के स्त्री-पुरुष) को पृथक मतदान दिलाने हेतु आवाज बुलंद की गई। 1931 में पूना पैक्ट में अछूत स्त्री-पुरुष को संसद, विधानसभा और नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए प्रयास किए गए, समाज में उनके द्वारा स्त्री-पुरुष के बीच समानता का भाव रखने साथ ही सहभागिता के लिए उन्होंने कहा "मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है, महिलाओं की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है। उन्होंने समाज निर्माण के साथ ही परिवार निर्माण और कल्याण में महिलाओं की भूमिका को महत्त्व दिया।"

अपने विचारों में कहा कि महिला/स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्त्व रखती है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाती है। अतः बाबा साहब ने नारी शक्ति को राष्ट्रशक्ति, राष्ट्र प्रगति, समाज प्रगति का मापदंड माना है और बात का सही औचित्य भी है कि देश की आधी आबादी को नजरअंदाज कर हम राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए बाबा साहब ने सभी वंचितों के मानवाधिकारों को स्वीकार किया। महिला

के साथ शोषण सिर्फ वर्णव्यवस्था में अंतिम वर्ण की महिलाओं तक ही शोषण सीमित नहीं था बल्कि उच्च वर्ण की महिलाओं को भी शोषण से मुक्ति दिलाने में सहायक रहे हैं। बाबा ने दीर्घकालीन दूरदृष्टि सोच रखते हुए महिलाओं के लिए बहुत काम किए जो कार्य विकसित देशों में जैसे अमेरिका में 1987 में कोर्ट के हस्तक्षेप के पश्चात् महिलाओं को मैटरनिटी लीव का रास्ता साफ हुआ था। अमेरिका ने वर्ष 1933 में 'फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट' बनाकर अधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया था लेकिन भारत में बाबा साहब के द्वारा शुरुआत की गई उनके द्वारा 10 नवम्बर 1938 को बाम्बे लेजिसलेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्याओं को जोरदार तरीकों से अभिव्यक्त किया। उसी बीच उन्होंने प्रसव के समय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार रखे। इसी बीच सर्वप्रथम 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल बाबा साहब के द्वारा ही लाया गया। इसके पश्चात् ही समपलोएस् स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई जिसे वर्तमान सरकार ने सुधार कर मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश लाभ की पात्र होती है।

बाबा साहब ने समाज प्रचलित कुरीतियों से शोषित महिलाएँ जैसे महिला संपत्ति के अधिकार से वंचित, जो पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे ऐसी महिलाएँ अपनी परेशानियों से दुखी रहती थी उनके माता-पिता भी कष्ट उठाते थे। इन समस्याओं को निपटाने के लिए वह उन्हें अधिकार दिलाने, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विधि मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल का प्रारूप बनाया जिसमें महिलाओं की संपत्ति में समान भागीदारी, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार, बहुपत्नी विवाह का अंत जैसे नियम जोड़कर जब संसद में रखा किंतु वह पास नहीं हो पाया जिससे दुखी होकर उन्होंने अपने विधि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया किंतु कुछ पिछली सरकारों और अधिक वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार (2014 के बाद) देश हित में उपरोक्त नियम को कानूनी रूप देकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का प्रयास किया है।

बाबा साहब का संघर्ष किसी जाति विशेष के विरुद्ध लड़ना नहीं देखा गया बल्कि उनके द्वारा सभी व्यक्तियों को मानव रूपी समझा इसलिए उन्होंने गैर मानवाधिकार प्राप्त समाज को वंचित वर्गों को उनको मानवाधिकार दिलाने और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाने का उनका संघर्ष रहा, चाहे वह वर्णव्यवस्था में अंतिम वर्ण के व्यक्ति और उच्च वर्ण की महिलाएँ उसके अतिरिक्त यह सत्य है कि उनके द्वारा निर्मित संविधान न ही किसी जाति का शोषण करने का अधिकार देता है इसलिए उन्हें किसी एक समूह या वर्ग का हितैषी कहना उचित नहीं बल्कि बाबा साहब के विचारों को समझने का अभाव है।

बाबा साहब ने विविधता के साथ एकता का समायोजन करने का प्रयास निरंतर किया है जैसे क्षेत्रिय भाषा के विकास के पक्ष में रहे प्रजातंत्र का समर्थन किया इसी उचित आधार पर लागू करने की सिफारिश करते हैं, संवैधानिक साधनों पर ही दृढ़ विश्वास रखते थे उन्होंने व्यक्ति पूजा से दूर रहना, समान नागरिक संहिता को लागू कराने के समर्थक रहे, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था विपक्ष की भूमिका तटस्थ एवं निष्पक्ष विधि के शासन को केन्द्रबिन्दु माना उनके अनुसार विधि समानता एवं स्वतंत्रता की सजग प्रहरी है। यह व्यवस्था ही सामाजिक शांति समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर सकती है।

बाबा साहब की व्यापकता पर आधारित वृहत सकारात्मक सोच का ही परिणाम रहा कि उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएच.डी. करके फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों का आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया और आर्थिक विचारों का प्रतिपादन किया जिसमें उनके कुछ विचारों को इंगित करने का प्रयास है। बाबा साहब ने समाजवाद के माध्यम से औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया जिसके अंतर्गत सरकार की भूमिका प्रारम्भ में ज्यादा होनी चाहिए साथ ही बाद में उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि उनका मानना था कि ज्यादा निजीकरण लाभ को बढ़ावा देगा, जो अधिक होने पर सामाजिक न्याय को भी प्रभावित कर देगा, बाबा साहब ने किसानों के विषयों पर चिन्ता की वह किसानों को भी सम्मान के साथ उनको अधिकार दिलाना चाहते थे। विशेष मजदूर किसानों के लिए जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए सामूहिक खेती पर बल देते हैं। उनके अनुसार भारतीय कृषि के लिए चकबन्दी भूमि सुधार जैसी प्रक्रिया औचित्यपूर्ण नहीं मानी जा सकती क्योंकि भारत में भूमिहीन मजदूरों की संख्या अधिक है। अतः सामूहिक खेती ही लाभकारी हो सकती है जिससे कृषि सामूहिक उद्योग के रूप में फल-फूल सकता है। बाबा साहब ने बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही क्योंकि इससे एक तरफ रोजगार की सम्भावना बढ़ेगी दूसरी ओर राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी जिसका प्रयोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए किया जा सकता है, बाबा साहब ने संसाधनों के वितरण के लिए कहा कि संसाधनों का वितरण न्यायोचित होना चाहिए। किसी जाति धर्म, क्षेत्र के आधार पर वस्तुओं का वितरण ना करके लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए।

बाबा साहब ने अपने चिन्तन के माध्यम से धर्म पर विचार करते हुए उनके द्वारा ऐसे धर्म को ही साधन माना है जो व्यक्तियों को जोड़ता है जिसमें मानवता के गुण विद्यमान हों यदि हम हिन्दू धर्म में वर्णव्यवस्था जैसे विचार को हटा दिया जाए तो हिन्दू धर्म अपने आप में ही मानवता का प्रतीकात्मक है क्योंकि हिन्दू धर्म के अनुसार लोक-परलोक के सुखों की सिद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों, कर्मों का धारण व सेवन करना ही धर्म है। वास्तव में धर्म आत्मोन्नति, आत्मकल्याण का एक पवित्र मार्ग है धर्म आत्मा के उद्धार का, आत्मा के उत्थान की एक सुव्यवस्थित पद्धति है जिसका अनुसरण कर हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे स्वयं यह बात समझ आती है। यदि कुछ स्वार्थी लोगों का मकसद हिंदू धर्म में वर्णव्यवस्था को वंशानुगत करके, जाति आधारित समाज का निर्माण, यदि यह व्यवस्था नहीं होती तो बाबा साहब अपने मूल धर्म को नहीं छोड़ते क्योंकि उनके दर्शन में यह बात साफ है कि धर्म सामाजिक जीवन का भाग है अतः उसका लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। धर्म यदि पारलौकिक भावना से जोड़ा जाएगा तो उससे मानव हितों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मनुष्य की स्वतंत्रता का भी अंत हो जाएगा मनुष्य पलायनवादी होकर अपनी समस्याओं से दूर चला जाएगा। अतः यह बात स्पष्ट है कि अम्बेडकर तर्कसंगत धर्म की बात करते हैं जिसका केन्द्र मानवता हो।

इस प्रकार यह बात भी स्पष्ट है कि सिर्फ कुछ विशेष जाति के लोगों तक बाबा साहब के विचारों को सीमित कर देना उचित नहीं होगा बल्कि सही तब होगा जब सभी सर्वसमाज इनके विचारों को समझने का प्रयास करें क्योंकि जो वर्तमान

समय की मांग समाज में 'समरसता' लाने का प्रयास चल रहा है वह तभी संभव है जब सभी व्यक्ति जाति भूलकर मानवता को आधार मानकर एक साथ आएँ। ऐसे ही मुझे एक सेवा कार्य में लगे संगठन का नाम ले रहा हूँ जिसमें मुझे किसी बात का कोई संकोच नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को समाहित कर जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका समरसता अभियान की संकल्पना अपने आप में अद्भुत संदेश है जिसे वह व्यवहारिक धरातल पर लागू करने का प्रयास क्योंकि बाबा साहब स्वयं 1939 में पुणे के आर.एस.एस. शिक्षा वर्ग में गए थे जहाँ उन्होंने एक ही पंक्ति में बैठ सभी समाज के लोगों के साथ भोजन करते देखकर काफी गौरव महसूस किया जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे ही वर्तमान समय में आर.एस.एस. की सभी शाखाओं में बाबा साहब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियाँ (जन्म जयंती, पुण्यतिथि) कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाती है। ऐसे में राजनीतिक लोग कुछ भी कहें किंतु सत्य है कि एक शुरुआत बाबा साहब के सपनों का हिन्दुस्तान जहाँ गैर भेदभाव, गैर जाति, गैर शोषणकारी समाज निर्मित करने की एक शुरुआत का नाम आर.एस.एस. है क्योंकि वर्तमान समय में भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो सर्वप्रथम समाज में समरसता लाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।

संदर्भ

1. अम्बेडकरवादी स्त्री चिंतन : सामाजिक शोषण के खिलाफ आत्मवृत्तात्मक संघर्ष, संपादक—तेज सिंह, स्वराज प्रकाशन, 2011. लेख 'नारी—स्वतंत्रता और डॉ. अम्बेडकर', अभालता चौधरी, पृष्ठ संख्या 62, 63.
2. डॉ. अम्बेडकर : सामाजिक विचार एवं दर्शन, संपादक—डॉ. नरेंद्र साधव, प्रभात प्रकाशन, संस्करण—2017.
3. हिन्दू नारी का उत्थान और पतन (राइज एंड फॉल ऑफ हिन्दू वीमेन) www.lib.tufs.ac.jp
4. आलेख — मानवता के सिंचक 'अम्बेडकर', डॉ. संगम वर्मा, <http://k/www.apnimaati.com/k2018/k02/kBlog-Post-94html>
5. आंबेडकर: नारी—विमर्श के प्रबल पुरोधा <http://k/www.drbrambedkarcollege.ac.in>
6. आंबेडकर: हाशियाकृत समाज के शिक्षाशास्त्री www.forwordpress.in
7. डॉ. अंबेडकर और भारतीय महिलाओं के लिए उनका योगदान shunyakal.com
8. मानवतावादी चिंतक थे डॉ. भीमराव आम्बेडकर — <http://k/km-hindi.webdunia.com>
9. बाबा साहेब अम्बेडकर : एक सच्चे राष्ट्रवादी www.dalitdastak.com
10. 'भीमराव आंबेडकर के भारतीय समाज के संदर्भ में सामाजिक विचार' <http://k/kignited.in/k1/ka/k89587>
11. डॉ. अंबेडकर के सामाजिक—आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता <https://khindi.news18.com/kamp/k61695/kpraveshkumar>
12. डॉ. भीमराव आम्बेडकर की सामाजिक, राजनीतिक यात्रा पर एक नजर www.jijjchruddhoochnatnindiiipnbvz
13. गांधी, अम्बेडकर और 1932 का पूना पैक्ट, <http://k/www.hindustantimes.com>
14. भीमराव अंबेडकर मानते थे कि संस्कृत पूरे देश को भाषाई एकता के में बाँध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है — शास्त्री कोसलेंद्र दास — <https://k/kkavishala.in@kavishala.opinion/ksanskrit>
15. हिंदुत्व का दर्शन भीमराव आंबेडकर hindisamay.com/kcontent
16. वह समाज जिसे हिंदुओं ने बनाया भीमराव आंबेडकर www.hindisamay.com
17. जाति प्रथा का अभिशाप भीमराव आंबेडकर www.hindisamay.com
18. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय, अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी, खण्ड—9, प्रकाशक डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार